कार्यालय उप संचालक कृषि सह परियोजना प्रबंधक (WCDC)
जिला–जशपुर (छ.ग.)
F–56 सिविल लाईन जशपुर छ.ग. पिन कोड– 496331 Email: wcdcjashpur.cg@gmail.com

// विज्ञापन //

क्रमांक / WDC-PMKSY 2.0 / कृषि / पदपूर्ति / 2022–23 / 5000 जशपुर, दिनांक 20/1/2023

छ.ग.शासन कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर अटल नगर का पत्र क्र. 1900 / एफ 02 / 04 / WDC 2.0 / 2015 / 14-02 रायपुर दिनांक 28.09.2022 में दिये गए निर्देशानुसार WDC-PMKSY 2.0 अंतर्गत प्रत्येक माईक्रोवाटरशेड कमेटी में सचिव माईक्रोवाटरशेड (संविदा) के एक पद पर भर्ती हेतु वर्ष 2021-22 में जिले के 02 विकास खण्ड में कुल 02 परियोजना स्वीकृत हैं। अतएव निम्नानुसार माईक्रोवाटर शेड मे सचिव (संविदा) पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है–

परियोजना का नाम– WDC-PMKSY 2/1/2021-22 पत्थलगांव

क्र	माईक्रोवाटरशेड समिती का नाम व कोड	परियोजनांतर्गत माईक्रोवाटरशेड क्षेत्र मे सम्मिलित ग्राम / ग्राम पंचायत	पद संख्या	श्रेणी
1	मा. वा. शेड समिती किलकिला 4G2C8A2a	1. किलकिला 2. बहनाटांगर	1	अनारक्षित
2	मा. वा. शेड समिती बहनाटांगर 4G2C8A2b	1. बहनाटांगर 2. ईला 3. बटुराकछार	1	अनारक्षित
3	मा. वा. शेड समिती केराकछार 4G2C8A2c	1. केराकछार 2. सुरेशपुर	1	अनारक्षित
4	मा. वा. शेड समिती ईला 4G2C8A2d	1. ईला 2.बटुराकछार 3. करमीटिकरा 4. केराकछार 5. सुरेशपुर	1	अनारक्षित
5	मा. वा. शेड समिती करमीटिकरा 4G2C8A2e	1. ईला 2.गोढीकला 3. करमीटिकरा 4. केराकछार 5. इंजको	1	अनारक्षित
6	मा. वा. शेड समिती गोढीकला 4G2C8A2f	1.गोढीकला 2. कुमेकेला 3. पतरापाली 4. इंजको	1	अनारक्षित
7	मा. वा. शेड समिती कुमेकेला 4G2C8A2g	1.कुमेकेला 2. पतरापाली	1	अनारक्षित

परियोजना का नाम– WDC-PMKSY 2/2/2021-22 बगीचा

क्र	माईक्रोवाटरशेड समिती का नाम व कोड	परियोजनांतर्गत माईक्रोवाटरशेड क्षेत्र मे सम्मिलित ग्राम / ग्राम पंचायत	पद संख्या	श्रेणी
1	मा. वा. शेड समिती सोनमुठ 4G2B6A3a	1. सोनमुठ	1	अनारक्षित
2	मा. वा. शेड समिती बहोरा 4G2B6A3b	1. बहोरा 2. सोनमुठ	1	अनारक्षित
3	मा. वा. शेड समिती भादू 4G2B6A3c	1. भादू 2. बहोरा	1	अनारक्षित
4	मा. वा. शेड समिती लोरो 4G2B6A3d	1. लोरो 2.भादू	1	अनारक्षित
5	मा. वा. शेड समिती चटकपुर 4G2B6A3e	1. चटकपुर 2. लोरो 3. सोनमुठ	1	अनारक्षित
6	मा. वा. शेड समिती भंवर 4G2B6A3f	1.भंवर 2. अकरीकोना 3.चटकपुर	1	अनारक्षित
7	मा. वा. शेड समिती सन्ना–01 4G2B6A3g	1. सन्ना	1	अनारक्षित
8	मा. वा. शेड समिती सन्ना–02 4G2B6A3h	1. सन्ना	1	अनारक्षित
9	मा. वा. शेड समिती सन्ना–03 4G2B6A3i	1. सन्ना	1	अनारक्षित
10	मा. वा. शेड समिती कोपा 4G2B6A3j	1. कोपा 2. भंवर 3. सन्ना	1	अनारक्षित

न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता–
(अ) 12 वीं पास।
(ब) माईक्रोवाटरशेड क्षेत्र में सम्मिलित ग्राम / ग्राम पंचायत का निवासी एवं कम्प्यूटर में अनुभव को प्राथमिकता दी जावेगी।

चयन हेतु मेरिट अंक का निर्धारण

क्र.	चयन हेतु मेरिट अंक	
1	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए।	85
2	न्यूनतम 1 से 2 वर्ष का अनुभव।	5
3	05 वर्ष तक का अनुभव।	10
4	05 वर्ष से अधिक का अनुभव।	15

1. नियम एवं शर्तें–

1. संविदा नियुक्ति छ.ग. शासन संविदा नियम 2012 में निहित शर्तों के अनुसार की जावेगी।
2. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।
3. **आयु सीमा**– आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2022 की स्थिति में न्यून्तम 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होगी। आयु सीमा में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी छुट संबंधी ओदश/निर्देश नियुक्ति के लिये भी लागू होंगे।
4. **नियुक्ति की अवधि–** संविदा नियुक्ति समान्यतः एक वर्ष के लिये होगी। WCDC आवश्यकता के आधार पर एवं संविदा नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता का गोपनीय प्रतिवेदन द्वारा आंकलन कर सेवा वृद्धि का निर्णय ले सकेगा। संविदा नियुक्ति की अवधि परियोजना समाप्ति पर संविदा नियुक्ति स्वयंमेव समाप्त मानी जावेगी।
5. **अवकाश की पात्रता–** संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में 18 दिनों का आकस्मिक अवकाश तथा 03 दिनों का ऐच्छिक अवकाश की पात्रता की गणना पूर्ण महीनों के लिये अनुपातिक आधार पर किया जावेगा। गणना में अपूर्ण दिवस को आगामी पूर्ण दिवस से पूर्णांकित किया जावेगा। विश्रामावकाश विभागों में कैलेण्डर वर्ष के तात्पर्य 12 माह की वास्तविक सेवा से लगाया जाएगा।
6. **प्रसूति अवकाश–** शासन द्वारा संविदा नियुक्त अधिकारी / कर्मचारी के लिये निर्धारित प्रसूति अवकाश की पात्रता होगी।
7. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को अपने परिवार की सामाजिक सुरक्षा के लिए संविदा वेतन की कम से कम 10 प्रतिशत राशि जीवन बीमा पेंशन योजना अथवा पी.पी.एफ. में जमा करनी होगी तथा इस बात की सूचना नियुक्ति प्राधिकारी को देनी होगी की कर्मचारी द्वारा किस योजना का वरण किया गया है परन्तु यह प्रावधान सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों पर लागू नही होगी।
8. **वेतन–** उपरोक्त संविदा सेवा में एकमुश्त मासिक मानदेय राशि 5000.00 रू. देय होगा। इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, महगाई भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता इत्यादि नही दिया जावेगा तथा संविदा नियुक्ति के अधिन वार्षिक वेतन वृद्धि की पात्रता नही होगी।
9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को सेवा समाप्ति पश्चात, संविदा नियुक्ति की हैसियत से जितनी अवधि तक सेवा दी गयी है उस अवधि के लिये किसी भी प्रकार का पेंशन, उपादान, मृत्यु लाभ एवं वित्तीय सहायता की पात्रता नही होगी।
10. आवेदन पत्र के साथ प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किये गये छ.ग. मूल निवासी प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है।
11. वंछित प्रमाण पत्र एवं अंक सूची स्व प्रमाणित छायाप्रति आवेदन दिनांक 4/02/2023 को सायं 05:00 बजे तक पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट के माध्यम से कार्यालय, उप संचालक कृषि, कृषि विभाग जशपुर (छ.ग.) पिन कोड– 496331 में अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नही किया जावेगा।

12. व्यक्तिगत रूप से सीधे आवेदन पत्र स्वीकार नही किये जावेगें।
13. शासकीय / अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कमचारी को आवेदन पत्र नियोक्ता के माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
14. अनुभव प्रमाण पत्र के साथ नियोक्ता का नियुक्ति आदेश पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा अनुभव हेतु निर्धारित अंक प्रदाय किया जाना संभव नही होगा।
15. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमाक एवं दिनांक उल्लेख करना तथा स्वप्रमाणित छायप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
16. अपूर्ण, अस्पष्ट एंव त्रुटि पूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में कोई सूचना नही दी जावेगी। ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जावेगें।
17. नियुक्ति हेतु सिफारिश कराने वाले किसी भी प्रकार का दबाव डलवाने वाले आवेदक का आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा।
18. उपरोक्त वांछित योग्यता न रखने वाले उम्मीद्वार आवेदन न करें ऐसे आवेदन पर विचार नही किया जावेगा।
19. लिफाफे के ऊपर आवेदित पद एवं परियोजना / विकास खण्ड़ का नाम अवश्य लिखें।
20. यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक माईक्रोवाटर शेड समिती हेतु आवेदन करना चाहता है तो प्रत्येक माईक्रोवाटर शेड समिती के लिये पृथक–पृथक आवेदन पत्र जमा करना होगा।
21. आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पता लिखा दो लिफाफा 25–25 रूपये के डाक टिकट सहित पत्र व्यवहार के लिये संलग्न किया जाना आवश्यक है।
22. किसी भी तरह की विवाद की स्थिति में कलेक्टर सह अध्यक्ष WCDC जिला जशपुर का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा।

"कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित"

उप संचालक कृषि
सह परियोजना प्रबंधक WCDC
जिला –जशपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक / WDC-PMKSY 2.0 / कृषि / पदपूर्ति / 2022–23 / 5002 जशपुर, दिनांक 20/1/2023

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी CGSWMA इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर कृषक नगर लाभाण्ड़ी रायपुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर, सह अध्यक्ष WCDC जिला जशपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी सह उपाध्यक्ष WCDC जि.पं. जशपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
4. जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जशपुर की ओर सूचनार्थ।
5. सहायक संचालक, जिला जनसंपर्क अधिकारी जशपुर की ओर सूचनार्थ एंव दैनिक समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन हेतु प्रेषित।
6. जिला सूचना अधिकारी NIC जिला जशपुर की ओर जिले के बेबसाईड में अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपदन पंचायत पत्थलगांव/बगीचा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. अनुविभागीय अधिकारी कृषि विकास खण्ड़ पत्थलगांव व बगीचा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

उप संचालक कृषि
सह परियोजना प्रबंधक WCDC
जिला –जशपुर (छ.ग.)